प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न
(केंद्रीय सिविल सेवाएं)

1. पेंशन नीति

(1.1) केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) संबंधी नियमावली कौन-सी है ?

केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी, केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली (पेंशन), 1972 द्वारा विनियमित होती है। रेल कर्मियों एवं सशस्त्र सेना के कर्मियों से संबंधित नियमावलियां अलग हैं।

(1.2) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला दिन ड्यूटी माना जाता है ?

हां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला दिन ड्यूटी माना जाता है (नियम 5)।

(1.3) पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है ?

कोई सरकारी कर्मचारी, जो पेंशनयोग्य प्रतिष्ठान में दिनांक 31.12.2003 या उससे पूर्व नियुक्त हुआ है और सरकारी सेवा से 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है, तो वह पेंशन के लिए पात्र है (नियम2, 49)।

(1.4) पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है ?

दिनांक 1.1.2006 से, परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों, जो भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन की गणना की जाती है।

(1.5) जब किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा के दौरान शुरू की गई विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित रहती है, तो क्या होता है ? यदि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित रहती है, तो क्या उसे पेंशन/उपदान का भुगतान किया जाएगा?

सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित विभागीय कार्यवाही को नियम 9 के तहत कार्यवाही माना जाता है और उसे उसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा और उसी तरीके से जारी रखा जाना और समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अधिकारी, इसके निष्कर्षों को दर्ज करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, केवल प्रोविजनल पेंशन का भुगतान किया जाता है और ग्रेच्युटी को विभागीय कार्यवाही पूरी होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तत्संबंधी अंतिम आदेश जारी होने तक रोक कर रखा जाता है।

(1.6) क्या सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है ?

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है:-

(क) ऐसी कार्यवाही शुरू करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाए;

(ख) यह कार्यवाही किसी ऐसी घटना के बारे में न हो, जो इसे शुरू करने के 4 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई हो;

(ग) यह कार्यवाही ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में की जाएगी जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाए और वह, ऐसी विभागीय कार्यवाही से संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त करने का आदेश देने का प्रावधान हो।

(1.7) विभागीय/न्यायिक कार्यवाही कब शुरू की गई मानी जाती है ?

(क) विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू की गई मानी जाती है, जब सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को आरोप पत्र सौंपा जाता है, अथवा यदि सरकारी कर्मचारी इस तिथि से पहले निलंबित किया गया है तो उस तिथि से कार्यवाही शुरू की गई मानी जाती है।

(ख) न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगी-

(i) दांडिक कार्यवाहियों के मामले में, उस तिथि से जब पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट की जाती है, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया हो, और

(ii) सिविल कार्यवाहियों के मामले में, जब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है।

(1.8) क्या विभागीय/न्यायिक कार्यवाही पूरी होने पर पेंशन/ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है ?

यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनर्नियोजन सहित सेवा के दौरान किसी घोर कदाचार या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वयं पेंशन या ग्रेच्युटी, अथवा दोनों को पूर्णत: या अंशत: रोकने, या पेंशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर बंद करने और पेंशन अथवा ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। पेंशन/ग्रेच्युटी को रोकने/बंद करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1.9) पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए किस वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है ?

पेंशन के लिए मूल नियम (एफआर) 9 (21) (ए) (i) में परिभाषित मूल वेतन को परिलब्धियों के रूप में माना जाता है, हालांकि चिकित्साधिकारियों को मंजूर गैर-प्रैक्टिस भत्ते को भी परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की गणना के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु वाले दिन स्वीकार्य मंहगाई भत्ते को भी परिलब्धियां माना जाता है।

(1.10) यदि सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी, निलंबन या प्रतिनियुक्ति पर है तो पेंशन के लिए किस वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है ?

(क) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले छुट्टी, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, या निलंबित होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित था, और सेवा में कटौती किए बिना पुन:स्थापित कर लिया गया है, तो इस नियम के लिए उन परिलब्धियों को गिना जाएगा, जो उसने आहरित की होतीं, यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित, निलंबित नहीं होता। हालांकि वेतन में वृद्धि (वार्षिक वेतन वृद्धि को छोड़कर) जिसे वास्तव में आहरित नहीं किया गया है, इन परिलब्धियों का हिस्सा नहीं होगी।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले असामान्य छुट्टी, या निलंबित होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित था, और उस निलंबन की अवधि को सेवाकाल में नहीं गिना जाता है, तो इस नियम के लिए उन परिलब्धियों को गिना जाएगा, जो उसने छुट्टी जाने या निलंबन से ठीक पहले आहरित की थीं।

(ग) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले अर्जित छुट्टी पर था, और इस दौरान उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित की है, और उसे रोका नहीं गया है, तो ऐसी वेतन वृद्धि जिसे वास्तव में आहरित नहीं

किया गया है, भी उन परिलब्धियों का हिस्सा होगी। लेकिन यह वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिनों से कम अवधि के अर्जित अवकाश के दौरान मिली होनी चाहिए, अथवा यदि अर्जित अवकाश एक सौ बीस दिनों से अधिक का है तो वेतन वृद्धि मिलने की तारीख पहले एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

(घ) विभागेतर सेवा (फॉरेन सर्विस) के दौरान आहरित वेतन को परिलब्धियां नहीं माना जाएगा, किंतु वह वेतन, जो उसने सरकारी सेवा में आहरित किया होता, यदि वह विभागेतर सेवा में नहीं होता, को ही केवल परिलब्धियां माना जाएगा।

(1.11) क्या सेवानिवृत्ति के उपरांत कदाचार के आधार पर पेंशन को रोका/ बंद किया जा सकता है?

पेंशन की मंजूरी/ जारी रखने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या घोर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो नियोक्ता प्राधिकारी, लिखित आदेश के माध्यम से पेंशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर रोक/बंद कर सकता है।

(1.12) क्या एक बार अधिकृत कर दी गई पेंशन का, नियम 8 और 9 के तहत कदाचार के आधार के अलावा इस प्रकार पुनर्निधारण किया जा सकता है, कि पेंशनभोगी को नुकसान होता हो ?

नियम 8 और 9 के अलावा, अंतिम आकलन के बाद एक बार अधिकृत की गई पेंशन का इस प्रकार पुनर्निधारण नहीं किया जा सकता हे जिससे कि पेंशनभोगी को नुकसान होता हो, जब तक कि बाद में पता चली लिपिकीय त्रुटि के कारण ऐसा करना अपरिहार्य न हो। यदि पेंशन अधिकृत करने के दो वर्ष उपरांत किसी लिपिकीय त्रुटि का पता चलता है तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन के पुनर्निधारण का आदेश नहीं दिया जा सकता, जिससे पेंशनभोगी को नुकसान होता हो। यह मामला लिपिकीय त्रुटि का है, अथवा नहीं, इस बात का फैसला प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(1.13) 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की पेंशन में संशोधन करने का क्या सूत्र है?

दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू(ए) के पैरा 4.1 के अनुसार 1.1.2006 से पेंशन/कुटुंब पेंशन को (i) वर्तमान पेंशन/कुटुंब पेंशन, (ii) महगांई पेंशन, जहां लागू हो, (iii) दिनांक 5.4.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी एंड पी डब्ल्यू (जी) द्वारा निर्धारित मूल पेंशन/मूल कुटुंब पेंशन की 24% की दर से महगांई राहत और (iv) पेंशन/मूल कुटुंब पेंशन के 40% की दर से फिटमेंट वेटेज को एक साथ जोड़कर पेंशन/कुटुंब पेंशन को समेकित किया जाएगा। जहां (i) वर्तमान पेंशन में दिनांक 1.4.2004 से महंगाई राहत का 50% आमेलित कर दिया गया है, वहां पेंशन में से आमेलित महंगाई राहत को निकालकर फिटमेंट वेटेज की पुन:गणना की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि को दिनांक 1.1.2006 से समेकित पेंशन/कुटुंब पेंशन माना जाएगा। पेंशन का निर्धारण इस उपबंध के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन, किसी भी स्थिति में पूर्व संशोधित वेतनमान, जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है के सुससंगत पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होगी।

(1.14) क्या 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन (अब दिनांक 30.07.2015 का कार्यालय ज्ञापन) संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के तहत लाभ मिलेगा?

2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जिन पेंशनभोगियों की पेंशन (1.1.2006 से संशोधित) पहले ही इस न्यूनतम सीमा के बराबर या उससे अधिक है, उनकी पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में भी, दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक के कॉलम 10 में उल्लिखित न्यूनतम कुटुंब पेंशन देय होगी, यदि (1.1.2006 से) कुटुंब पेंशन की राशि इस न्यूनतम कुटुंब पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, तो वही कुटुंब पेंशन दी जाती रहेगी।

(1.15) छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बाद न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की राशि कितनी है ?

पेंशन 3500/- रू. से कम नहीं होगी और सरकार में अधिकतम वेतन के 50 प्रतिशत, अर्थात् 45,000/- रु. से अधिक नहीं होगी।

(1.16) हम पेंशन प्रपत्र (फार्म) कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ?

सभी फार्म पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(1.17) कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कब आवेदन कर सकता है ?

नियम 48 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 48-ए के तहत वह 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। एफआर 56 (के) के तहत वह (समूह क एवं ख के लिए) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद और (अन्य मामलों में) 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आवेदन कर सकता है।

(1.18) क्या अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों को उच्चतर दर पर पेंशन मिलेगी?

हाँ, 01.01.2006 से अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में निम्नवत् वृध्दि की गई है :-

दिनांक 02.09.2008 का कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए)

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम	संशोधित मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम	संशोधित मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम	संशोधित मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम	संशोधित मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	संशोधित मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 100%

(1.19) क्या वृध्द कुटुंब पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त पेंशन देय है?

हाँ, वृध्द पेंशनभोगियों को देय अतिरिक्त पेंशन संबंधी दरें कुटुंब पेंशनभोगियों पर भी लागू होती हैं।

(1.20) क्या पेंशन की गणना के लिए अर्हक सेवा की अवधि को जोड़ना अभी भी लागू हैं?

01.01.2006 से पेंशन/संबंधित लाभों के लिए अर्हक सेवा की अवधि को जोड़ने का लाभ बंद कर दिया गया है।

(1.21) क्या उपदान की गणना करने के लिए भी अर्हक सेवा में अतिरिक्त अवधि जोड़ने के प्रावधान को भी हटा लिया गया है?

हाँ, 01.01.2006 से।

(1.22) क्या वृध्द पेंशनभोगियों को देय अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन उनकी 80 वर्ष या अधिक आयु होने कि तिथि से या जन्मतिथि वाले महीने की पहली तिथि से देय होगी?

80 वर्ष की आयु या अधिक पूरी होने पर पेंशन/कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा, उसकी जन्मतिथि वाले महीने की पहली तिथि से देय होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी अगस्त, 2008 में 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह 01.08.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन पाने का हकदार होगा। जिन पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की जन्मतिथि 1 अगस्त है, वे भी 80 वर्ष या अधिक की आयु होने पर 01.08.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन पाने के पात्र होंगे।

2. अर्हक सेवा

(2.1) क्या पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी की पूरी अवधि अर्ह होती है?

पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी की वह पूरी अवधि अर्ह होती है, जिसके लिए छुट्टी का वेतन देय होता हैं। पेंशन और उपदान के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई असाधारण छुट्टी भी अर्ह होती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ली गई असाधरण छुट्टी केवल तभी अर्ह होती है, जब नागरिक के लिए उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करना संभव न हो या जब उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए छुट्टी मंजूर की गई हो।

(2.2) क्या सिविल सेवा/पद पर पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को नियम 19 के तहत पूर्व सेवा को जोड़ने का लाभ मिलता है?

31.12.2003 से पूर्व सिविल पद/सेवा में पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक के. सि. सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन आता है। अत: नियम 19 का उसे स्वत: लाभ मिल जाता है। 01.01.2004 या उसके बाद सिविल सेवा में पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और उन पर के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती है। अत: 01.01.2004 या उसके बाद पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिको को नियम 19 का लाभ नहीं मिलता है।

(2.3) जो सरकारी कर्मचारी (01.01.2004 से पूर्व नियुक्त) उचित अनुमति लेकर दूसरी सरकारी नियुक्ति के लिए त्यागपत्र दे देता है तो उसकी पूर्व सेवा का क्या होता है ?

नियम 26 (2) के तहत "यदि उचित अनुमति लेकर दूसरी अस्थायी या स्थायी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए, जहाँ सेवा अर्हक है, के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो पूर्व सेवा जब्त नहीं होगी।" यह उस सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होता है, जिसने 01.01.2004 से पूर्व सरकारी सेवा में कार्यग्रहण किया था और 01.01.2004 को या उसके बाद, दूसरी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करता है।

(2.4) अर्हक सेवा और पेंशन पर त्याग पत्र (तकनीकी त्याग पत्र के अतिरिक्त) का क्या असर पड़ता है?

त्याग पत्र (तकनीकी त्याग पत्र के अतिरिक्त) देने से पूर्व सेवा जब्त हो जाती है। इसलिए ऐसे त्यागपत्र पर कोई पेंशन देय नहीं होती है।

(2.5) कोई सरकारी सेवक, जिसने केंद्रीय/राज्य/स्वायत्त निकाय में 01.01.2004 से पहले कार्यग्रहण किया है, और अपने पूर्व संगठन में तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद 01.01.2004 के बाद केंद्रीय/राज्य/स्वायत्त निकाय में दूसरी सेवा में कार्यग्रहण करता है, तो क्या वह के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पेंशन पाने का हक़दार होगा ?

हां, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.07.2005 और 28.10.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28/30/2004-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी, जिन पर अपनी सरकारों/संगठनों की पुरानी पेंशन योजना लागू थी, उनपर पुरानी पेंशन योजना लागू होना जारी रहेगी, यदि वे उचित अनुमति से त्यागपत्र देकर ऐसे नए संगठन में कार्यग्रहण करते हैं, जहां पुरानी पेंशन योजना मौजूद है।

(2.6) क्या किसी कर्मचारी द्वारा केंद्रीय सरकार में जाने पर उसकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में की गई सेवा को पेंशन के लिए गिना जाएगा ?

दिनांक 13.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28/24/94- पी एंड पी डब्ल्यू (बी) के अनुसार, सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में की गई सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाता है।

3. आमेलन

(3.1) क्या 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में 24.09.2012 वृध्दि करने संबंधी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 28.01.2013 का कार्यालय ज्ञापन सं 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए), उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जिन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान लिया है और जिनकी एक-तिहाई पेंशन बहाल हो गई हैं?

आमेलित पेंशनभोगियों की पूरी नोशनल पेंशन में भी दिनांक 28.01.2013, 30.7.2015 और 06.04.2016 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसार वृध्दि की जाएगी।

(3.2) क्या उन सरकारी सेवकों, जिन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान लिया है, की संराशीकृत एक-तिहाई पेंशन के पुनर्निधारण संबंधी माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के निर्देश लागू किए गए हैं ?

इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन किया गया है। उस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 के अनुसार 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन सेशोधन-पूर्व मूल पेंशन (डीपी के बिना) की 2.26 गुना होगी। माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्ताशाती निकायों में आमेलित होने पर एकमुश्त भुगतान लिया है, और जिनकी एक-तिहाई पेंशन 01.01.2006 से पूर्व बहाल कर दी गई थी, उनकी एक-तिहाई बहाल पेंशन में 2.26 का गुणा कर 01.01.2006 से संशोधित किया जाएगा, यदि यह धनराशि इस विभाग के दिनांक 15.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार संशोधित धनराशि से अधिक लाभकारी है। उन आमेलित पेंशनभोगियों के मामले में, जिनकी एक-तिहाई पेंशन की बहाली 01.01.2006 या इसके बाद होनी थी, उपर्युक्त सूत्र 31.12.2005 को नोशनल एक-तिहाई बहाल पेंशन पर लागू होगी।

ये निर्देश, ओ ए 710/2010 में सीपी सं. 26/2012 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं ।

महंगाई राहत एवं वृध्द (80 वर्षों या अधिक उम्र के) पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन का भगुतान समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

पेंशन के संराशीकृत एक-तिहाई भाग की बहाल राशि के संशोधन का लाभ 01.01.2006 या जिस तिथि से संराशीकृत पेंशन बहाल की गई है, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

4. नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)

(4.1) पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता क्या है?

ऐसे प्रत्येक पेंशनभोगी, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दायरे में निवास नहीं करते हैं, और किसी नजदीकी शहर के केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में बाह्य रोगियों के लिए दिए जाने वाली उपचार सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें 500/- रु. का नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। जहाँ सीजीएचएस औषधालय नहीं है, ऐसे महानगरों में रहने वाले पेंशनभोगी भी इस आथय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं।

(4.2) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दायरे में निवास करते हैं, किंतु उन्होंने सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, क्या वे भी नियत चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं ?

सीजीएचएस सुविधा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले सेवारत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। नियत चिकित्सा भत्ता, गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है, जहां उनके लिए सीजीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। सीजीएचएस सुविधा वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशनभोगी सीजीएचएस सुविधा का उपयोग नहीं करने और किसी अन्य चिकित्सा सुविधा (अर्थात् नियत चिकित्सा भत्ता) का उपयोग करने का विकल्प नहीं अपना सकते हैं। अत: ऐसे पेंशनभोगी, जो आवश्यक अंशदान जमा कर सीजीएचएस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें सीजीएचएस के बदले नियत चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जा सकता है।

(4.3) ऐसे पेंशनभोगी, जिन्हें दो पेंशन मिल रही हैं, जैसे कि अपनी सेवा की पेंशन और कुटुंब पेंशन या सेना की पेंशन और अन्य सिविल पेंशन, उन्हें किस पेंशन पर नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाएगा ?

यदि कोई पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी दो पेंशन ले रहा है, और वह संबंधित संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधा का उपयोग नहीं करता है तो केवल एक चिकित्सा भत्ता देय है। ऐसे पेशनभोगी के मामले में जिसे सेना पेंशन और सिविल पेंशन दोनों मिल रही है, यदि पेंशनभोगी किसी एक संगठन, सिविल या सेना द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधा का उपयोग कर रहा है, तो वह चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार नहीं है, और यदि वह किसी भी संगठन द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वह दोनों में से किसी एक पेंशन पर चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार है।

5. परिचय पत्र

(5.1) क्या पेंशनभोगी को कोई पहचान पत्र जारी किया जाता है?

संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा पेंशनभोगी को पहचान पत्र जारी किया जाता है। दिनांक 25.07.2013, 12.08.2015 और 20.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 41/21/2000-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) द्वारा पहचान पत्र के प्रारूप में संशोधन किया गया है। पेंशनभोगी के पहचान पत्र में पता, टेलीफोन नं., जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति के समय धारित पद, पीपीओ/ पीआरएएन सं., आधार कार्ड (यदि उपलब्ध है) इत्यादि का ब्यौरा दर्ज होता है।

विभाग/कार्यालय, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, द्वारा सेवानिवृत्त पेंशनभोगी के पहचान पत्र के लिए निम्नलिखित विशिष्टताएं निर्धारित की गई हैं:

(i) पेंशनभोगी पहचान पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
(ii) पहचान पत्र, 8.5 सें.मी. X 5.5 सें.मी. के मानक आकार में होना चाहिए।
(iii)पेंशनभोगी पहचान पत्र, 125 जीएसएम या इसी प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़ पर मुद्रित होना चाहिए (हस्तलिखित नहीं)।
(iv) पेंशनभोगी को सौंपने से पहले पहचान पत्र को विभाग/कार्यालय द्वारा लैमिनेट करवाया जाएगा।

दिल्ली और अन्य महानगरों/बड़े शहरों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र, 600 डीपीआई रिजोल्यूशन वाले पीवीसी थर्मल प्रिंटर की सहायता से प्लास्टिक कार्ड के रूप में मुद्रित किया जाए। यदि उस कार्यालय में, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हो रहा है, इस प्रकार के प्लास्टिक कार्ड को मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय बाजार से पेंशनभोगी पहचान पत्र मुद्रित करवाया जाए।

(5.2) अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र कौन जारी करेगा?

जिस विभाग में कर्मचारी आखिरी बार कार्यरत था, उस विभाग द्वारा उसे पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जाता है। इसलिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्ति होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के मामले में संबंधित राज्य सरकार द्वारा पहचान पत्र जारी किया जा सकता है।

(5.3) क्या नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत शासित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जा सकता है?

सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों को संबंधित मंत्रालय/विभाग, दिनांक 25.07.2013, 12.08.2015 और 20.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 41/21/2000-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) में निहित निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र जारी कर सकते हैं।

6. पेंशन प्रक्रिया

(6.1) निम्नलिखित शब्दावली के क्या तात्पर्य हैं?

(क) पेंशन वितरण अधिकारी

(ख) पेंशन अनुमोदन अधिकारी

(ग) पीपीओ जारीकर्ता अधिकारी

(क) पेंशन वितरण अधिकारी	आपको पेंशन का भुगतान करने वाली बैंक की शाखा/ कोषागार/ डाक घर/वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय
(ख) पेंशन अनुमोदन अधिकारी	लेखा कार्यालय को मामला अग्रेषित करने से पूर्व आपकी पेंशन अनुमोदित करने वाला अधिकारी
(ग) पीपीओ जारीकर्ता अधिकारी	आम तौर पर वेतन एवं लेखा अधिकारी ही पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता (पीपीओ)अधिकारी होता है।

(6.2) अपनी पेंशन का दावा करने के लिए सरकारी सेवक को क्या करना चाहिए?

सेवा के दौरान प्रत्येक सरकारी सेवक को संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी सेवा का सत्यापन किया जा रहा है, और उसकी सेवा पुस्तक में उसे दर्ज किया जाता है और इसमें कोई कमी नहीं है उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे देय सभी भुगतानों से संबंधित नामांकन अद्यतन और वैध हैं।

सेवानिवृत्ति तिथि से छह माह पूर्व सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र 5 में कुछ जानकारी प्रस्तुत करनी होती है (उदाहरणार्थ-पत्नी/पति के साथ संयुक्त फोटो, परिवार का ब्यौरा, वह जिस अधिकृत बैंक से पेंशन लेना चाहता है, उसकी शाखा का नाम इत्यादि)

सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की तिथि से एक वर्ष पूर्व, कार्यालयाध्यक्ष को प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात की तैयारी शुरू करनी होती है।कार्यालयाध्यक्ष को के.सि.सेवा पेंशन नियमावली के नियम 59 एवं 60 का अनुपालन करते हुए विधिवत भरे हुए फार्म 5 और फार्म 7, फार्म 8 में सहपत्र और सरकारी कर्मचारी की सेवा पंजिका सहित वेतन एवं लेखा अधिकारी को सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम छह माह पूर्व अग्रेषित करनी होती है।

(6.3) पेंशन कौन अधिकृत करता है?

कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन के कागजात प्राप्त करने पर संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी, आवश्यक जाँच करने के बाद पेंशन राशि का आकलन करता है और पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग, अर्थात् वितरक भाग और पेंशनभोगी भाग, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से न्यूनतम एक माह पूर्व, स्याही में हस्ताक्षरित एवं समुचित सह प्राधिकरण पत्र के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को जारी करता है, जो पेंशन भुगतान आदेश में दिए गए ब्यौरों और वेतन एवं लेखा अधिकारी के प्राधिकार पत्र के आधार पर कंप्यूटर पर एक विशेष मोहर प्राधिकार जनरेट करेगा और विशेष मोहर प्राधिकार के साथ पीपीओ संबंधित अधिकृत बैंक के केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी) को अग्रेषित करेगा। वेतन एवं लेखा अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि विशेष मोहर प्राधिकार जारी कर दिया गया है, पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनभोगी भाग को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सौंपने के लिए भेज देगा। तथापि, यदि कर्मचारी बैंक से पीपीओ लेना चाहता है, तो पीपीओ के दोनों भाग सीपीएओ को भेज दिए जाएंगे। सभी अभिलेख सीपीपीसी में रखें जाएंगे और सीपीपीसी द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद वितरण शाखा पेंशनभोगी को भुगतान करेगी। सीपीपीसी, पेंशन तैयार करने के लिए मात्र सहयोगी कार्यालय है, पेंशन संबंधी सभी समस्याओं/शिकायतों का निपटारा पूर्व की भांति संबंधित भुगतान शाखा द्वारा किया जाता रहेगा।

(6.4) यदि पेंशन सही तरीके से नियत नहीं की गई है, तो क्या किया जाए?

पेंशन प्राधिकार जारी करते समय वेतन एवं लेखा अधिकारी, पेंशन गणना शीट की (कार्यालयाध्यक्ष से उनको प्राप्त तीन प्रतियों में से एक) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित और स्वयं (वेतन एवं लेखा अधिकारी) द्वारा सत्यापित एक प्रति, पेंशनभोगी को यह सूचित करते हुए कि उसके पेंशन भुगतान प्राधिकार/पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को सीपीएओ भेज दिया गया है, अग्रेषित करेगा । यदि पेंशन गणना शीट में यह पाया जाता है कि पेंशन सही नियत नहीं की गई है, तो यह मामला कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष रखा जा सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी, पीपीओ के दोनों भागों में आवश्यक संशोधन कर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को आगे सीपीपीसी को अग्रेषित करने के लिए संशोधन प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

7. पेंशन संवितरण

(7.1) क्या किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन खाता खोला जा सकता है?

नहीं, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन खाता नहीं खोला जा सकता है। प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों की सूची उपलब्ध है, जिनमें पेंशन खाता खोला जा सकता है। इस सूची के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए कृपया केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की वेबसाइट www.cpao.nic.in पर जाएँ।

(7.2) क्या पेंशन का भुगतान नकद किया जाता है, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने की स्कीम के अंतर्गत किसी संयुक्त खाते के माध्यम से जिसमें "कोई एक" या "उत्तरजीवी" सुविधा सहित या इसके बिना किया जाता है?

इस स्कीम में पेंशन के नकद भुगतान की अनुमति नहीं है। हालांकि, कुछ शर्तों के अध्यधीन अब पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति द्वारा संचालित ("पूर्व" या "उत्तरजीवी" अथवा "कोई एक" या "उत्तरजीवी" आधार पर) संयुक्त खाते में, जिसे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में कुटुंब पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है, में पेंशन की राशि जमा किए जाने की अनुमति है।

अदाकर्ता शाखा भी पेंशन राशि को पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति, जिसे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में कुटुंब पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है के संयुक्त खाते में पेंशन राशि जमा कर सकती/सकता है। पेंशनभोगी की पत्नी/पति के साथ संयुक्त खाते को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन "पूर्व" या "उत्तरजीवी" अथवा "कोई एक" या "उत्तरजीवी" आधार पर संचालित किया जा सकता है :-

(क) जब पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा हो जाती है, तब सरकार/ बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। यदि पति/पत्नी गलती से भी खाते से धन निकाल लेता/लेती है, तो भी आगे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।

(ख) चूंकि पेंशन का भुगतान केवल पेंशनभोगी के जीवनकाल में ही देय है, अत: उसकी मृत्यु की सूचना यथाशीघ्र और हर स्थिति में मृत्यु के एक महीने के भीतर बैंक को दे दी जानी चाहिए, ताकि पेंशनभोगी के मृत्यु के पश्चात बैंक, पति/पत्नी के साथ पेंशनभोगी के संयुक्त खाते में पेंशन राशि जमा करना बंद कर दे। हालांकि, यदि त्रुटिवश संयुक्त खाते में धनराशि जमा हो गई है, तो संयुक्त खाते और/या पेंशनभोगी/उसकी पत्नी/पति के एकल या किसी अन्य संयुक्त खाते से उसकी वसूली की जा सकेगी। संयुक्त खाते में त्रुटिवश जमा हुई धनराशि की वसूली के लिए पेंशनभोगी के कानूनी वारिस, निष्पादक आदि भी जिम्मेदार होंगे।

(ग) पेंशन का बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983, पेंशनभोगी की/के पत्नी/पति के साथ संयुक्त खाते पर लागू रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इस नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार "स्वीकृत नामांकन" मौजूद है, तो नियमावली में उल्लिखित बकाया का भुगतान, नामिति को देय होगा ।

वर्तमान पेंशनभोगी, जो उपर्युक्त संयुक्त खाते में अपनी पेंशन जमा करवाने के इच्छुक हैं। तो उन्हें उस बैंक की शाखा को संलग्न प्रपत्र अर्थात परिशिष्ट XXIX में आवेदन करना होगा, जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन आहरित करते हैं। उस प्रपत्र पर पेंशनभोगी की पत्नी/पति का भी हस्ताक्षर होगा।

(7.3) क्या पेंशन के भुगतानों से स्रोत पर आयकर की कटौती की जा सकती है ?

हां, अदाकर्ता शाखा समय-समय पर निर्धारित दरों पर पेंशन भुगतानों से स्रोत पर आयकर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार होगी । यदि पेंशनभोगियों द्वारा अर्ह बचत के उचित एवं स्वीकार्य सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पेंशन राशि से

ऐसे कर की कटौती करते समय अदाकर्ता शाखा आयकर अधिनियम के तहत समय-समय पर उपलब्ध आयकर की कटौती पर राहत की भी अनुमति देगी। अदाकर्ता शाखा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में पेंशनभोगियों को आयकर नियमावली में निर्धारित प्रपत्र पर आयकर कटौती का एक पमाण पत्र भी जारी करेगी।

(7.4) यदि पेंशनभोगियों के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा हो गई है, तो क्या बैंक द्वारा उसकी वसूली की जाएगी ?

पेंशन का भुगतान आरंभ करने से पूर्व अदाकर्ता शाखा को स्कीम के निर्धारित फार्म परिशिष्ट-XI में पेंशनभोगियों से एक वचन पत्र लेना होता है। इस वचन पत्र के आधार पर यदि उसके खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा हो गई है, तो अदाकर्ता शाखा द्वारा उसकी वसूली की जा सकती है ।

(7.5) यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी अपना पेंशन खाता स्थानांतरित कराना चाहता/चाहती है, तो क्या करना होगा ?

(7.5.1) पेंशनों के स्थानांतरण का आवेदन निम्नलिखित दो श्रेणियों के अधीन आ सकता है;

i) एक ही स्थान या अलग स्थान से उसी अधिकृत बैंक (एबी) की एक शाखा से किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरण;
ii) एक एबी से दूसरे एबी को ।

(7.5.2) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के तहत आने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी किसी भी शाखा में अनुरोध कर सकते हैं । अदाकर्ता शाखा, यथालागू, पीपीओ के वितरक भाग को उस अनुरोध के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु सीपीपीसी को भेजेगी । नई अदाकर्ता शाखा/ सीपीपीसी को पीपीओ का वितरक भाग भेजने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस माह तक भुगतान किया गया है, उसका उल्लेख भी पीपीओ के वितरक भाग में निरपवाद रूप से किया गया है । यदि यह उसी अधिकृत बैंक के लिए है तो प्राप्तकर्ता, सीपीपीसी पेंशन दस्तावेज प्राप्त होने पर तीन दिनों के भीतर अदाकर्ता शाखा को पीपीओ भेजना सुनिश्चित करेगा, अथवा यदि अलग अधिकृत बैंक के लिए है तो सीपीपीसी को भेजना सुनिश्चित करेगा और साथ ही पेंशनभोगी को तथ्यों से अवगत कराएगा । नए और पुराने सीपीपीसी द्वारा अनुलग्नक XXI में दिए गए फार्म (स्कीम पुस्तिका के पृष्ठ 49) तथा इ-स्क्रोल में अभिलेखों में परिवर्तन को दर्ज करने के लिए ऐसे स्थानांतरण की सूचना सीपीएओ को भेजी जाएगी ।

(ख) उपरोक्तानुसार अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र का पत्र प्राप्त होने पर नई पेंशन अदाकर्ता शाखा तत्काल पेंशन का भुगतान आरंभ कर देगी । इसके साथ ही, वह पेंशन आरंभ करने के पूर्ण ब्यौरे के साथ सीपीपीसी के सूचित करेगी ।

(ग) हस्तांतरी (नई) शाखा में पेंशनभोगी के पी.पी.ओ की फाटोकॉपी के आधार पर हस्तांतरणकर्ता (पुरानी) शाखा पर किए गए भुगतान की अंतिम तिथि से तीन महीने तक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, यह हस्तांतरणकर्ता (पुरानी) और हस्तांतरी (नई) शाखा दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि प्रक्रियाधीन दस्तावेज सीपीपीसी द्वारा तीन महीने के भीतर प्राप्त हो जाते हैं।

(7.5.3) अधिभुगतान के जोखिम से बचने के लिए हस्तांतरण के समय, अधिकृत बैंक की अदाकर्ता शाखा द्वारा पीपीओ के वितरक भाग में निम्नलिखित प्रमाण पत्र दर्ज करना होता है:

"प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन का भुगतान.....माह तक किया गया है और इस पी.पी.ओ में वितरण को दर्ज करने के लिए.....क्रमबद्ध शीट हैं। "

(7.5.4) उपर्युक्त के सिवाय पेंशन खाते का एक भुगतान स्थल से दूसरे तक स्थानांतरण की सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7.6) वेतन एवं लेखा कार्यालय या कोषागर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पेंशन भुगतान स्थानांतरित करने की क्या प्रक्रिया है ?

(7.6.1) मौजूदा पेंशनभोगियों द्वारा स्कीम पुस्तिका के परिशिष्ट- IX में दिए गए फार्म को दो प्रतियों में भरकर पेंशन वितरण अधिकारी के पास अधिकृत बैंकों से पेंशन लेने के लिए आवेदन किया जाएगा ।

मौजूदा पेंशनरों द्वारा अधिकृत बैंकों में परिवर्तन के लिए आवेदन योजना पुस्तिका की अनुबंध- IX में दिए गए फार्म में दो प्रतियों में पेंशन संवितरण अधिकारी को किया जाएगा।

(7.6.2) अधिकृत बैंको में अपने पेंशन के कागजात के हस्तांतरण का आवेदन करने से पूर्व पेंशनभोगी को सर्वप्रथम देय पेंशन आहरित करनी चाहिए।

(7.6.3) पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा पीपीओ के आधे भाग, अर्थात् वितरक भाग को विधिवत् अधिकृत और अद्यतन कर एबी की सीपीपीसी को अपने रिकार्ड में आवश्यक रूप से दर्ज करते हुए भुगतान की व्यवस्था करने हेतु तत्काल दो प्रतियों में स्थानांतरण का आवेदन अग्रेषित किया जाएगा । यदि आवेदन के हस्तांतरण से पूर्व पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा पीपीओ के पेंशनभोगी भाग में किए गए भुगतानों की प्रविष्टि को अद्यतन नहीं किया गया है तो सीपीएओ को भेजे जाने से पहले यह प्रविष्टियां अद्यतन की जाएगीं।

(7.6.4) यदि पीपीओ (वितरक वाला भाग) कट-फट गया है, तो आवश्यक हुआ तो सीपीपीसी को भेजने से पहले उसे सीपीएओ द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा।

8. कुटुंब पेंशन

(8.1) जब किसी सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान को कौन अधिकृत करेगा ?

यदि सरकारी कर्मचारी की केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिनियुक्ति वाले विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही पेंशन नियामवली के अध्याय के उपबंधों के अनुरूप कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान अधिकृत करने की कारवाई की जाएगी।

किसी राज्य सरकार या विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब उस कार्यालयाध्यक्ष या उस संवर्ग अधिकारी द्वारा, पेंशन नियामवली के अध्याय IX के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का भुगतान अधिकृत किया जाएगा, जिसने सरकारी कर्मचारी की राज्य सरकार या विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्ति की मंजूरी प्रदान की थी।

(8.2) परिवार का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब पेंशन की मंजूरी का पात्र कब होता है ?

सामान्यत: कुटुंब पेंशन की राशि की मंजूरी और इसे अधिकृत एक साथ ही किया जाता है, और उसका उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश में किया जाता है, यह पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात आहरित की जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारी की विधवा या विधुर को कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष फार्म 14 में दावा प्रस्तुत करना होगा, जो वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से कुटुंब पेंशन की मंजूरी एवं अधिकृत करेगा। जब मृत सरकारी कर्मचारी ने अपने पीछे केवल बच्चा या बच्चे छोड़े हैं, तो अभिभावक (अवयस्क और/या मानसिक विकलांग बच्चा/बच्चों के मामले में) या वह बच्चा/बच्चे, कुटुंब पेंशन की मंजूरी और अधिकृत करने के लिए फार्म 14 में सभी सुसंगत सूचना/प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय अध्यक्ष को दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक पेंशनभोगी की पत्नी या विकलांग बच्चा या आश्रित माता-पिता या विकलांग भाई-बहन, मृतक पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ फार्म 14 में पेंशन वितरण अधिकारी को आवेदन करें। जहां पेंशनभोगी और उसकी/उसके पत्नी/ पति का संयुक्त खाता है, वहां फार्म 14 की आवश्यकता नहीं है, और पत्नी/पति, मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न कर पेंशनभोगी की मृत्यु के बारे में साधारण डाक के माध्यम से बैंक को सूचित कर सकते हैं। अदाकर्ता बैंक पीपीओ में दी गई सूचना और "अपने ग्राहक को जानिए" प्रक्रिया के आधार पर पति/पत्नी की पहचान करेगा। अन्य मामलों में, अर्थात् ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी, और उसके पति/पत्नी के संयुक्त खाते में पेंशन नहीं जमा होती है, वहां अभी भी फार्म 14 में कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन करना आवश्यक है । हालांकि फार्म 14 में से सत्यापन की शर्त को हटा लिया गया है, और केवल दो व्यक्तियों की गवाही को पर्याप्त माना गया है। अन्य बच्चे, कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन करेंगे।

(8.3) परिवार के सदस्यों को किस अवधि तक और किस क्रम में कुटुंब पेंशन देय है?

एक समय में परिवार के एक सदस्य को कुटुंब पेंशन देय होती है, उसका क्रम और अवधि निम्नवत् है:

क) विधवा या विधुर के मामले में, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो। नि:संतान विधवा को उसके पुनर्विवाह के बाद भी कुटुंब पेंशन दी जाती रहेगी, यदि सभी स्रोतों से उसकी आय, न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उसपर देय महंगाई राहत से कम है।

ख) विधुर अपात्र हो जाता है जब विधवा या, तों 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, अपनी आयु के क्रम में, 25 वर्ष की आयु होने तक अथवा विवाह करने तक अथवा न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत के योग से अधिक राशि अर्जित करना शुरू करने तक।

ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के बाद; किसी ऐसे पुत्र/पुत्री को, जिसे कोई मानसिक विकार या विकलांगता (मानसिक मंदता/मंदबुद्धि सहित) हो या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग पुत्र/पुत्री, जो आजीविका के अर्जन में असमर्थ हो।

घ) यदि कोई भी पति/पत्नी / 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे/ 25 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग बच्चे, कुटुंब पेंशन के पात्र न हों, तो आयु के वरिष्ठता क्रम में कुटुंब पेंशन 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा पुत्री को मंजूर की जा सकती है।

ड.) उसके बाद कुटुंब पेंशन ऐसे माता-पिता को दी जा सकती है, जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहने के दौरान उसपर पूरी तरह आश्रित थे।

च) विकलांग सहोदर (भाई - बहन), जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले, उस पर आश्रित थे, उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है ।

(8.4) क्या एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को कुटुंब पेंशन देय है?

सामान्यत: एक समय में परिवार के एक ही पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन देय होती है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में कुटुंब पेंशन परिवार के पात्र सदस्यों में बांटी जाती है। कुटुंब पेंशन का बराबर हिस्सों में भुगतान किया जाएगा, यदि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की-

क) एक से अधिक विधवा हैं (हिंदू विधवा या जहाँ बहु विवाह/बहुपतित्व की अनुमति नहीं है, ऐसे मामलों को छोड़ कर)।

(ख) एक विधवा और दूसरी विधवा, जिसे अगर वह जीवित होती तो पेंशन मिलती, के किसी पात्र बच्चे को ।

(ग) एक विधवा और तलाकशुदा/अवैध रूप से विवाहित पत्नी के पात्र बच्चे को; उस बच्चे को कुटुंब पेंशन का वही हिस्सा मिलेगा, जो उसकी माँ को मिलता, यदि उसका तलाक नहीं हुआ होता/ विवाह अवैध नहीं हुआ होता।

(घ) जुड़वा, एक साथ जन्मे तीन या चार बच्चों को।

उपर्युक्त सभी मामलों में, एक प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, उसकी कुटुंब पेंशन का हिस्सा, परिवार के उन दूसरे सदस्यों को देय होगा, जो उसके कुटुंब पेंशन के भागीदार थे।

(8.5) जुड़वा बच्चों में कुटुंब पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?

प्र. (8.4) के उत्तर की भांति।

(8.6) क्या कानूनी रूप से अलग हुए पति/पत्नी को कुटुंब पेंशन देय होती है?

कानूनी रूप से अलग पति/पत्नी को कुटुंब पेंशन देय होती है, बशर्ते कुटुंब पेंशन के लिए कोई बच्चा पात्र न हो। किंतु व्यभिचार के आधार पर कानूनी रूप से अलग हुए और जिन्हें व्यभिचार करने का दोषी ठहराया गया है, ऐसे पति/पत्नी को कुटुंब पेंशन देय नहीं है।

(8.7) क्या किसी पेंशनभोगी के जीवन काल में जिसके कोई पत्नी या दूसरे बच्चे न हों, विकलांग बच्चे/ विकलांग भाई-बहन/आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन मंजूर की जा सकती है?

हाँ, कुछ मामलों में विकलांग बच्चे/ विकलांग भाई-बहन/आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन मंजूर की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए, इस विभाग के दिनांक 1 जुलाई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/27/2011-पी एंड पीडब्ल्यू (ई) देखें जो कुटुंब पेंशन के परिपत्रों के अंतर्गत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(8.8) क्या माता-पिता, विधवा/ तलाकशुदा/ अविवाहित पुत्रियों को कुटुंब पेंशन देय है?

प्र. (8.2) और (8.3) के उत्तर के समान

(8.9) बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन क्या है और यह किस अवधि तक देय होती है?

सामान्यत: सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 30% की दर से कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि, निम्नलिखित तीन मामलों में, अंतिम आहरित वेतन के 50% की दर से बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन देय होती है

(क) 01.01.2006 से, यदि किसी व्यक्ति की न्यूनतम 7 वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत मृत्यु हो जाती है जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, तो कुटुंब पेंशन की दर, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से दस वर्षों तक उसके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर देय होगी ।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान 01.01.1999 के बाद और 01.01.2006 से पहले मृत्यु हुई हो और उसके परिवार को बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन मंजूर की गई थी, अधिकतम बढ़ी हुई दर कुटुंब पेंशन की 7 वर्ष की अवधि 01.01.2006 करे पूरी नहीं हुई है, तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक कुटुंब पेंशन के भुगतान की अनुमति होगी।

(ग)सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में, बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन सात वर्षों तक अथवा मृतक की 67 वर्षों की आयु, जो भी पहले हो, तक देय होगी। किसी भी स्थिति में, कुटुंब पेंशन की राशि सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पर अधिकृत पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी।

10 या 7 वर्ष की अवधि यथालागू बीतने पर, कुटुंब पेंशन सामान्य दर पर देय होगी।

(8.10) क्या पति/ पत्नी के पुनर्विवाह के बाद भी कुटुंब पेंशन देय होती है?

विधवा/ विधुर के पुनर्विवाह के बाद कुंटुब पेंशन समाप्त कर दी गई है । तथापि अब पुनर्विवाह के बाद भी मृतक कर्मचारी की नि:संतान विधवा को कुटुंब पेंशन उपलब्ध की गई है बशर्ते उसकी आय, महंगाई राहत सहित निर्धारित न्यूनतम पेंशन से अधिक नहीं है। नि:संतान विधुर को पुनर्विवाह के बाद कुंटुब पेंशन उपलब्ध नहीं है।

(8.11) क्या बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन की 10 वर्षो की अवधि उस सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगी, जिसकी मृत्यु 01.01.2006 से पहले हो गई हो और उसके परिवार को 01.01.2006 को बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन मिल रही थी?

हाँ, बढ़ी हुई दर कुटुंब पेंशन की 10 वर्ष की अवधि की गणना सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से की जाएगी। हालांकि, ये आदेश उस मामले में नहीं लागू होंगे, जब बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन के भुगतान की 7 वर्षों की अवधि 01.01.2006 को पहले ही समाप्त हो चुकी है।

9. <u>असाधारण पेंशन</u>

(9.1) नि:शक्तता/ विकलांगता के प्रतिशत की गणना किस प्रकार की जाती है? यह किस पर लागू है?

नि:शक्तता/ विकलांगता के प्रतिशत की गणना केवल के.सि.सेवा (असा. पेंशन) नियमावली के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। लाभों का हिस्सा बनने वाले विकलांगता/नि:शक्तता घटक की गणना के उद्देश्य से नि:शक्तता /कार्य करने की अक्षमता को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाता है:-

चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित नि:शक्तता का प्रतिशत	नि:शक्तता पेंशन की गणना के लिए लिया जाने वाला प्रतिशत
50% तक	50%
50% से अधिक और 75% तक	75%
75% से अधिक और 100% तक	100%

बशर्ते उपर्युक्त सीमा, सेवा में बनाए रखे जाने वाले और एकमुश्त मुआवजा पाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

(9.2) नि:शक्तता पेंशन, अशक्तता पेंशन से किस प्रकार भिन्न है ?

अशक्तता पेंशन, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 38 के तहत मंजूर की जाती है जब सरकारी कर्मचारी किसी भी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के लिए सेवा से निर्मुक्त होना चाहता है, जबकि नि:शक्तता पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत मंजूर की जाती है । केंद्रीय सिविल सेवा (सीओपी) नियमावली के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा करते हुए चोट लगने पर सेवा से चिकित्सीय नि:शक्तता के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उसे नि:शक्तता पेंशन प्रदान की जाएगी जिसमें सेवा घटक और नि:शक्त्ता घटक दोनों शामिल होंगे । अशक्तता पेंशन और नि:शक्तता पेंशन को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है ।

(9.3) सदाशयपूर्वक अपने सरकारी दायित्व का निर्वहन करते हुए मृत्यु हो जाने पर सिविलियन कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक दिया जाने वाला एकमुश्त संशोधित मुआवजा क्या है?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के <u>दिनांक 11.09.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/55/97-पी एंड पी डब्ल्यू (सी)</u> में संशोधन करते हुए सदाशयपूर्वक अपने सरकारी दायित्व के दौरान किसी सिविल कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रहपूर्वक दी जाने वाली एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि निम्नवत् संशोधित की गई है।

(क)	कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर	10.00 लाख रुपए
(ख)	दायित्व निर्वहन करते हुए आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के हिंसक कृत्यों के कारण दुर्घटनावश मृत्यु होने पर	10.00 लाख रुपए
(ग)	(क) अंतर्राष्ट्रीय युध्द में शत्रु की कार्यवाही, और (ख) आतंकवादियों, अतिवादियों आदि के विरुध्द कार्यवाही में मृत्यु होने पर	15.00 लाख रुपए
(घ)	निर्दिष्ट ऊँचाई वाले क्षेत्रों, दुर्गम सीमा चौकियों आदि पर प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसमी परिस्थितियों के कारण मृत्यु होने पर	15.00 लाख रुपए

(9.4) किस तिथि से सतत परिचर भत्ता देय है?

सतत परिचर भत्ता 01.01.2006 से देय है और यह केवल असाधारण पेंशन के तहत सेवानिवृत्त (नियमावली) होने वाले कर्मचारियों पर लागू है।

(9.5) क्या 01.01.2006 से पूर्व निशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त: होने वाले पेंशनभोगी भी सतत परिचर भत्तों के हकदार होंगे?

हाँ जो पेंशनभोगी 01.01.2006 से पूर्व नि:शक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं और दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के पैरा 10.1 में उल्लिखित शर्तों को पूरी करते हैं वे भी सतत परिचर भत्ते के हकदार हैं।

(9.6) क्या सतत परिचर भत्ता पर भी महंगाई राहत देय होगी?

जी नहीं

10. उपदान

(10.1) सेवानिवृत्ति के समय से रोकी गई उपदान की राशि कब वापस दी जाएगी?

के. सि. सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उपनियम (5) के तहत उपदान की रोकी गई राशि का सरकारी आवास को वास्तविक रूप से खाली किए जाने पर संपदा निदेशालय द्वारा "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के तत्काल बाद भुगतान कर दिया जाएगा।

संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से चौदह दिनों की अवधि के भीतर उसे "बेबाकी प्रमाण पत्र" दे दिया जाता है और आबंटी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और नुकसानी की बकाया राशि, यदि कोई हो, का समायोजन करने के बाद, वापस की जाने वाली रोकी गई अतिरिक्त राशि पर, सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से उपदान की रोकी गई अतिरिक्त राशि वापस करने की तिथि तक, संपदा निदेशालय द्वारा सरकारी कर्मचारी के संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर पर) आबंटी, ब्याज पाने का हकदार होगा।

(10.2) क्या सेवानिवृत्ति उपदानमृत्यु उपदान/, पेंशन की संराशीकृत राशि करयोग्य है?

नहीं, मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की संराशीकृत राशि पर आयकर से पूरी तरह छूट है।

(10.3) क्या उपदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है, और यदि हाँ, तो अधिकतम कितनी राशि देय है?

हाँ, सभी उपदानों पर 01.01.2006 से अधिकतम सीमा में वृध्दि कर दस लाख रुपए कर दिया गया है। (पहले यह सीमा 3.5 लाख रुपए थी)। उपदान की गणना करते समय सेवानिवृत्ति की तिथि को लागू महंगाई भत्ता भी वेतन के साथ जोड़ा जाएगा।

(10.4) क्या सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान का भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी(पीएओ)/ केंद्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी (सीपीएओ) द्वारा किया जा सकता है?

नहीं, पीएओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की राशि की सूचना कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी, कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या नामिति/ परिवार, जो भी लागू हो, को आहरित धनराशि वितरित करेगा।

(10.5) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उपदान की 10% राशि या पूरी राशि रोकी जाएगी?

नहीं, प्रशासनिक विभाग/लेखा अधिकारी उपदान की कोई राशि नहीं रोकेगें जब तक कि कार्यालयाध्यक्ष-

(क) संपदा निदेशालय से प्राप्त निर्देशों को संलग्न कर बकाया लाइसेंस शुल्क के लिए 10% उपदान रोकने के लिए नहीं कहते हैं।

अथवा

(ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने के बारे में सूचित करते हैं

(10.6) सेवानिवृत्ति उपदान से वसूली जा सकने वाली सभी बकाया राशि क्या हैं?

कार्यालय प्रमुख द्वारा निधारित और आकलित सरकारी देय जो सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया रहती है, उसे सेवानिवृत्ति उपदान की राशि से समायोजित किया जाएगा । सरकारी देयों का आशय लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि सहित सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अनुमत अवधि से परे सरकारी आवास के कब्जे व आवास में हुई किसी क्षति, यदि कोई हो,

से है और इसके साथ-साथ सरकारी आवास से संबंधित बकाया राशि भी शामिल है । सरकारी देय राशि में गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, या कोई भी अन्य अग्रिम का बकाया एवं वेतन का अधिक भुगतान तथा भत्ता या अवकाश वेतन का और टीडीएस की बकाया राशि आदि का अधिक भुगतान शामिल है ।

(10.7) यदि मृत्यु उपदान के लिए नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो उपदान का भुगतान कैसे किया जाएगा?

यदि मृत्यु उपदान कुटुंब के एक नाबालिग सदस्य को प्रदान किया जाता है, तो नाबालिग की ओर से यह अभिभावक को देय होगा । एक प्राकृतिक अभिभावक के न होने की स्थिति में 20% या 1.50 लाख रुपए तक की सीमा का मृत्यु उपदान का भुगतान अभिभावक को संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा, लेकिन उसे उपयुक्त प्रतिभूओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा । शेष राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा एक संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

(10.8) सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति उपदान कब रोका जाएगा ?

सेवानिवृत्ति उपदान पर निम्न परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकत है:

1. सेवानिवृत्ति से पहले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक / न्यायिक कार्यवाही हो तो सेवानिवृत्ति पर 100% उपदान रोक दिया जाएगा । इस तरह के मामलों में, उपदान, विभागीय/ न्यायिक कार्यवाही के समापन और इस मुद्दे के अंतिम आदेश जारी किए जाने तक रोककर रखा जाएगा ।
2. प्रशासनिक विभाग/ लेखा अधिकारी सरकारी आवास के संबंध में बकाया लाइसेंस शुल्क/ क्षति के लिए 10% उपदान रोकने के लिए संपदा निदेशालय से निर्देश प्राप्त करता है ।

(10.9) **जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही / न्यायिक कार्यवाही के कारण रोके गए उपदान पर क्या कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और इन भुगतानों की अदायगी कब की जाएगी ?**

यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनर्नियोजन सहित सेवा के दौरान किसी घोर कदाचार या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वयं पेंशन या ग्रेच्युटी, अथवा दोनों को पूर्णत: या अंशत: रोकने, या पेंशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर बंद करने और पेंशन अथवा ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। विभागीय/ न्यायिक कार्यवाही के बाद सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह से बरी कर दिए जाने पर उपदान का भुगतान अंतिम आदेश के जारी किए जाने के बाद किया जाएगा । सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के दोषी पाए जाने पर सरकार उपदान के विनियमन के लिए आदेश जारी करेगी ।

(10.10) **क्या उपदान की देरी से भुगतान के लिए ब्याज देय है और उपदान के देरी से भुगतान के इन मामलों में लागू ब्याज की दर क्या है?**

यदि उपदान के भुगतान में अनुमत अवधि से अधिक देरी की जाती है, तो जीपीएफ में जमा राशि के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान उपदान के साथ देय है । उपदान के विलंब से भुगतान के हर मामले में प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव द्वारा विचार किया जाएगा और यदि यह देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है तो प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव ब्याज के भुगतान की मंजूरी देंगे । ऐसे सभी मामले में जहां ब्याज प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव द्वारा स्वीकृत की गई है, ऐसे मंत्रालय/ विभाग जिम्मेदारी तय करेंगे और उपदान के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ।

11. पेंशन का संराशीकरण

(11.1) कितनी पेंशन का संराशीकरण किया जा सकता है?

पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति के समय देय पेंशन के 40% तक के संराशीकरण का विकल्प चुन सकता है।

(11.2) क्या पेंशन के संराशीकरण पर कोई प्रतिबंध है?

हाँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके विरुध्द उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व या कोई पेंशनभोगी जिसके विरुध्द सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन नियमावली के नियम 9 में निर्दिष्ट विभागीय या न्यायिक कार्यवाही आरंभ की गई है, वह ऐसी कार्यवाही के लंबित रहते हुए पेंशन नियमावली के नियम 69 के तहत प्राधिकृत अपनी अस्थायी पेंशन या पेंशन के एक अंश का संराशीकरण करने का हकदार होगा।

(11.3) यदि पेंशनभोगी की अपने विकल्प का उपयोग करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो क्या परिवार को 40 प्रतिशत संराशीकरण का लाभ दिया जा सकता है?

जी नहीं, जब तक ऐसे मामलों में संराशीकरण प्रभावी नहीं हो जाता, कुटुंब को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता ।

(11.4) घटी हुई पेंशन की प्रभावी तिथि क्या होगी, यदि

(क) आवेदक, भुगतान और लेखा कार्यालय (पीएओ) से पेंशन लेता है?

(ख) आवेदक, किसी सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक की शाखा से पेंशन लेता है?

(ग) सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्ति से पूर्व के.सि.से. (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली के फार्म 1-ए में संराशीकरण का आवेदन किया है, संराशीकृत राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के पहले माह के भीतर उसके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है?

(क) संराशीकरण के फलस्वरूप पेंशन राशि में की गई कमी, पेंशन की संराशीकृत राशि की प्राप्ति की तिथि से अथवा पीएओ द्वारा पेंशन की संराशीकृत राशि के भुगतान का प्राधिकार जारी करने के तीन माह के अंत में, जो भी पहले हो, लागू होगी।

(ख) संराशीकरण के फलस्वरूप पेंशन में की गई कमी, आवेदक के पेंशन खाते में बैंक द्वारा संराशीकृत राशि जमा करने की तिथि से लागू होगी।

(ग) संराशीकरण के फलस्वरूप घटी हुई पेंशन, इसके लागू किए जाने के दिन से प्रभावी होगी यदि संराशीकृत राशि का भुगतान दो चरणों में किया गया हो तो, उसी प्रकार यथालागू उपर्युक्त (क) अथवा (ख) के अनुसार किए गए भुगतान की तिथियों के अनुरूप पेंशन राशि में कमी की जाएगी।

(11.5) पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली के लिए 15 वर्षों की अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है?

15 वर्षों की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से ही की जा सकती है, यदि पेंशन की संराशीकृत राशि का भगुतान, सेवानिवृत्ति के पहले ही माह में किया गया था/ किया गया है, जिसके फलस्वरूप पहली पेंशन से ही उचित राशि घटा दी जाएगी। अन्य सभी मामलों में, जहाँ घटी हुई पेंशन दूसरे या बाद के महीनों में लागू होती है, वहाँ 15 वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जब से घटी हुई पेंशन प्रभावी हुई थी/होती है।

(11.6) क्या 15 वर्षों के बाद पीएओ सीपीएओ से पेंशन की/संराशीकृत राशि की बहाली के प्राधिकार की आवश्यकता होती है?

नहीं, 15 वर्षों के बाद पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली (संराशीकृत राशि जमा करने की तिथि से) या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि अनुसार, पात्र पेंशनभोगी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर बैंक द्वारा स्वत: की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ पीपीओ में पेंशन के संराशीकरण की तिथि का उल्लेख नहीं है, वहाँ बैंक पेंशन के संराशीकरण भाग की बहाली करने से पूर्व सीपीएओ के माध्यम से पीपीओ जारी करने वाले पीएओ से सूचना प्राप्त करेगा।

(11.7) पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली के लिए पेंशनभोगी को क्या करना होगा? यह किस तिथि से बहाल की जाती है?

संराशीकरण की तिथि से 15 वर्षों बाद पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली की जानी चाहिए। इस बहाली को 01.04.85 से आरंभ किया गया था, अर्थात् जिन लोगों ने 01.04.85 या उसके बाद 15 वर्ष पूरे किए थे, उनकी पेंशन बहाल की जाती। इस 15 वर्षों की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से की जाएगी, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में सेवा पेंशन के साथ ही संराशीकरण की मंजूरी दी गई थी।

जहां सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद संराशीकरण की मंजूरी दी गई थी, वहाँ जिस तिथि को पेंशनभोगी के खाते में राशि जमा की गई थी, उसके 15 वर्षों बाद पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली के लिए प्रत्येक पेंशनभोगी को 15 वर्ष पूरे होने पर एक आवेदन पत्र के माध्यम से अपने पेंशन वितरण अधिकारी (पी डीए) को आवेदन करना होगा।

(11.8) क्या पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली उन पर लागू होती है, जो स्थायी तौर पर स्वायत्तशासी निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित हो गए थे और पेंशन के बदले 100% एकमुश्त भुगतान प्राप्त किया था ?

हाँ। दिनांक 06.09.2007 के कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 15.09.2008 और 11.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन के केवल एक-तिहाई भाग की बहाली की जा सकती है। वृध्द पेंशनभोगियों (80 वर्ष और उससे अधिक) को देय अतिरिक्त पेंशन और पूरी पेंशन पर महंगाई राहत भी देय है।

(11.9) पेंशन की बहाली क्या है, और यह कब देय होती है?

पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली, एकमुश्त सरांशीकृत राशि के भुगतान तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के बाद देय होती है।

(11.10) घटी हुई / अवशिष्ट पेंशन क्या है ?

पेंशन के संराशीकृत भाग को घटाने के बाद देय पेंशन भाग को अवशिष्ट पेंशन कहा जाता है।

(11.11) अतिरिक्त संराशीकरण योग्य पेंशन के संराशीकरण के उद्देश्य हेतु आयु क्या होगी, और इस अतिरिक्त संराशीकृत राशि के लिए किस गुणक का उपयोग किया जाएगा?

पेंशन के संराशीकरण के मूल आवेदन के समय पेंशन की संराशीकृत राशि की गणना के लिए ली जाने वाली आयु ही अतिरिक्त संराशीकरण योग्य पेंशन राशि पर लागू होगी। हालांकि वेतन/ पेंशन के पूर्व तिथि से प्रभावी संशोधन के फलस्वरूप संराशीकरण योग्य पेंशन की अतिरिक्त राशि के संराशीकरण के लिए दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित पेंशन की अतिरिक्त राशि संराशीकरण की संशोधित तालिका में दिए गए संराशीकरण गुणक का उपयोग किया जाएगा।

(11.12) पेंशन के अतिरिक्त संराशीकरण के कारण पेंशन में किस तिथि से कमी की जाएगी?

पेंशन के अतिरिक्त संराशीकरण के फलस्वरूप के.सि.सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 6 में निहित उपबंधों के अनुसार दो चरणों में पेंशन में कमी की जाएगी।

(11.13) पेंशन के अतिरिक्त संराशीकरण के बहाली की क्या तिथि होगी?

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के तहत भारत सरकार के निर्णय सं. 1 के अनुसार पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली संराशीकरण की तिथियों के 15 वर्षों के बाद की जाएगी। पीपीओ में इस आशय का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाए।

(11.14) यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि माह की पहली तिथि होती है तो वहाँ पिछले माह में सेवानिवृत्त होता है। संराशीकरण तालिका के लिए क्या मान लिया जाएगा?

पेंशन का संराशीकरण उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन प्रभावी हो जाता है। अत: यदि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत हुआ है तो संराशीकरण के लिए उसके 61वें जन्मदिन की आयु का मान लिया जाएगा, अर्थात् वर्तमान संराशीकरण तालिका में 8.194 लिया जाएगा।

(11.15) यदि संराशीकृत राशि का भुगतान चरणों में किया जाता है, तो उसकी बहाली की तिथि क्या होगी?

यदि संराशीकृत राशि का भुगतान चरणों में किया जाता है, तो बहाली भी भुगतान की तिथियों से क्रमश: चरणों में की जाएगी।

(11.16) क्या वह व्यक्ति, जिसने अपनी पेंशन का कुछ प्रतिशत संराशीकृत कराया है, वह बाद में बचे हुए भाग का अधिकतम 40 प्रतिशत तक संराशीकृत करा सकता है (उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने सेवानिवृति पर अपनी पेंशन के 20 प्रतिशत को संराशीकृत कराया है और वह यथाप्राधिकृत था तो, क्या वह अपनी पेंशन के शेष 20 प्रतिशत को संराशीकृत करा सकता है?

पहले विकल्प के प्रभावी हो जाने के बाद संराशीकरण के लिए दूसरे विकल्प का कोई प्रावधान नहीं है ।

12. <u>महंगाई राहत</u>

(12.1) पेंशनभोगियों को दी गई राहत को किस सीमा तक निष्प्रभावी किया जाता है?

सेवारत कर्मचारियों की भांति समान दरों पर पेंशनभोगियों को दी गई राहत को 100% तक निष्प्रभावी किया जाता है।

(12.2) क्या महंगाई राहत मूल पेंशन या संराशीकरण के बाद घटी हुई पेंशन पर देय होती है?

महंगाई राहत, संराशीकरण के पूर्व मूल पेंशन पर देय होती है।

(12.3) क्या पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई दर पर मंहगाई राहत के भुगतान के लिए पीएओ/सीपीएओ से किसी प्राधिकार की आवश्यकता होती है ?

नहीं, जब भी सरकार द्वारा पेंशन/ कुटुंब पेंशन पर कोई मंहगाई राहत स्वीकृत की जाती है तब नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रत्येक अधिकृत प्रतिनिधि को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा इस आशय की सूचना भेजी जाती है । प्रत्येक केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्र की यह जिम्मेदार होगी कि वह सुनिश्चित करे कि अदाकर्ता शाखा द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और बिना किसी अनुचित देरी के पेंशनभोगियों को संशोधित दरों पर अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता रहा है ।

(12.4) क्या विनियोजित कुटुंब पेंशनभोगी और और पुन: विनियोजित पेंशनभोगी अपनी कुटुंब पेंशन/ पेंशन पर मंहगाई राहत पाने के हकदार हैं ?

हाँ, 18.07.97 और उसके बाद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/73/97-पी एंड पी डब्ल्यू (जी) में निहित शर्तों के अध्यधीन।

13. <u>नई पेंशन प्रणाली</u>

(13.1) केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (पेंशन) 31.12.2003 या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं। क्या 31.12.2003 के बाद भारत सरकार के पेंशनदायी कार्यालयों में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी इस नियमावली के तहत किसी लाभ के हकदार हैं?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/41/06-पी एंड डब्ल्यू (ए) के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 31.12.2003 के बाद कार्यग्रहण किया था उनके परिवारों को कर्मचारी की मृत्यु/चोट पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियमों को अंतिम रूप देने तक नि:शक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन का लाभ अस्थायी तौर पर दिया जा सकता है।

(13.2) नई पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले मृतक सरकारी कर्मचारियों के बकाया देय निपटारे संबंधी दिशा निर्देश/ आदेश क्या हैं?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय आदेश सं.38/41/06-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुरूप अस्थायी तौर पर नई पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले मृतक कर्मचारियों के परिवारों को भी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत लाभ प्रदान किया गया है। यदि कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के दायरे में आता है और इसकी शर्तें पूरी करता है, तो दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप मृतक कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन/उपदान देय होगा। ये भुगतान अस्थायी है और अंतिम उपबंधों के अनुसार उनका समायोजन किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार नई पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले मृतक कर्मचारी की संचित जमा पेंशन का उस अवधि में भुगतान नहीं किया जाएगा जिस अवधि में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत दिए जाने वाले अस्थायी लाभ देय होते हैं। सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष पेंशन के कागजात तैयार करेगा और दिनांक 29.09.2009 के शुध्दिपत्र के साथ पठित दिनांक 02.07.2009 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(7)/डी सी पी एस (नई पेंशन प्रणाली)/2009/टी ए/221 में वर्णित सरकारी कर्मचारी के पात्र परिजनों को अस्थायी भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करेगा।

14. संकल्प

(14.1) संकल्प क्या है?

यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार की एक पहल है जो पेंशनभोगियों को समाज में उपयोगी भागीदारी निभाने के लिए उपलब्ध अवसरों तक पहुंचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है । यह इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठनों को स्वयंसेवक पेंशनभोगियों के उपलब्ध पूल से उचित कौशल और विशेषज्ञता का चयन करने में सुविधा प्रदान करती है । इस पहल का एक अन्य प्रमुख तत्व है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सुचारू रूप से उनके दूसरी पारी में पारगमन को मदद करने के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाओं का संचालन करना ।

(14.2) संकल्प के तहत किन्हें पंजीकृत किया जा सकता है ?

पेंशनभोगियों, पेंशनभोगी संघों और गैर-सरकारी संगठन को संकल्प के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है ।

(14.3) संकल्प के अंतर्गत किस प्रकार के पेंशनभोगी पंजीकरण किए जाने के लिए पात्र हैं?

संकल्प के अंतर्गत वर्तमान में केवल केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगी, रक्षा सिविलियन और रक्षा सेवानिवृत्त पंजीकरण के लिए पात्र हैं ।

(14.4) पेंशनभोगियों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं?

केन्द्र सरकार के सिविलि पेंशनभोगियों के लिए 12 अंकों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए सर्विस नंबर, रैंक और रिकॉर्ड ऑफिस । इसके अतिरिक्त, संकल्प के अंतर्गत पेंशनभोगियों के पंजीकरण के लिए जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पदनाम, विभाग/ मंत्रालय, पैन नंबर और मोबाइल नंबर आवश्यक है ।

(14.5) संकल्प के अंतर्गत एक पेंशनभोगी कैसे पंजीकृत किया जा सकता है?

पेंशनभोगी http://pensionersportal.gov.in/Sankalp वेबसाइट पर पेंशनभोगी पंजीकरण फार्म जमा कर सकते हैं । साथ ही पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 12 अंकों के पीपीओ की स्वयं सत्यापित प्रति भेजनी होती है । सत्यापन के बाद, उन्हें पंजीकृत किया जाता है तथा लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वे लॉगिन कर सकते हैं ।

(14.6) 'संकल्प के तहत संगठनों / संघों / स्कीम को किस प्रकार पंजीकृत किया जा सकता है?

संगठन/संघ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संकल्प की वेबसाइट पर उपलब्ध मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं । उन्हें ईमेल के माध्यम से खाली पंजीकरण फार्म उपलब्ध कराया जाता है । एक विधिवत भरा पंजीकरण फार्म प्राप्त होने पर, विभाग विवरण की संवीक्षा करता है और यदि यह स्वीकार्य पाया जाता है तो संगठन/संघ को संकल्प के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया जाता है ।

(14.7) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की संकल्प में क्या भूमिका है?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की भूमिका केवल एक सुविधाप्रदाता और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है । संकल्प सेल्फ-डिस्क्लेमर आधार पर भारत में कई पेंशनभोगियों / संगठनों को सूचीबद्ध करता है । इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगी/ संगठनों का किसी भी तरह से समर्थन अथवा सिफारिश कर रहा है । विभाग इस बात की भी गारंटी नहीं देता कि वेबसाइट पर मौजूद जानकारी पूर्ण और सही है और इसके प्रयोग के फलस्वरूप हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा । पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस बात की भी गारंटी नहीं देता कि सभी पेंशनभोगियों को उपयुक्त कार्य प्राप्त होगा और न ही यह गारंटी देता है कि सभी संगठनों को उचित स्वयंसेवकों मिलेंगे ।

(14.8) क्या एक पेंशनभोगी को अपने कथित काम के लिए वेतन / मानदेय मिलेगा?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगियों को स्वैच्छिक आधार पर समाज के लिए कार्य करने/ योगदान करने के अवसरों तक पहुचनें का केवल एक मंच प्रदान करता है और संगठन/ संघ उपलब्ध मानव संसाधनों के पूल में से उचित कौशल और विशेषज्ञता का चयन कर सकते हैं ।

(14.9) क्या संकल्प के माध्यम से एक काम प्राप्त करने की कोई गारंटी है?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कोई गारंटी नहीं देता कि संकल्प के तहत पंजीकृत सभी पेंशनभोगियों को संलग्नता के लिए कोई उपयुक्त कार्य मिल जाएगा अथवा सभी संगठनों को उपयुक्त स्वयंसेवक पेंशनभोगी मिल जाएगें । पेंशनभोगी और संगठन दोनों ही को उनकी आवश्यकता के संबंध में उपयुक्तता के लिए खुद को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है ।

(14.10) स्वैच्छिक कार्य के अलावा क्या संकल्प के अंतर्गत कोई अन्य विकल्प उपलब्ध हैं?

जी हाँ, पेंशनभोगी कविता, फोटो, दिलचस्प लेख भेज/ साझा कर सकते हैं जिसे संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

15. जीवन प्रमाण

(15.1) जीवन प्रमाण क्या है ?

भारत सरकार की पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की योजना को जीवन प्रमाण कहा जाता है । इसमें जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण द्वारा पेंशनभोगियों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह के दौरान पेंशनभोगियों को अपने खाते में पेंशन की राशि जमा करते रहने के लिए बैंक जैसी प्राधिकृत पेंशन वितरक एजेंसियों को जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना पड़ता है । यह जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशन आहरित कर रहे व्यक्ति को स्वयं पेंशन संवितरक एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है या फिर उस प्राधिकरण से जीवन प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है जहां उसने पहले कार्य किया था और उसके बाद इस संवितरक एजेंसी को भिजवाना पड़ता है । यह देखा गया है कि इसकी वजह से विशेषकर वृद्ध और दुर्बल पेंशनभोगियों को काफी कठिनाई और अनावश्यक असुविधा होती है जो प्राय: अपना जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होते । इसके अतिरिक्त कई पेंशनभोगी या जो अपने परिवार के साथ रहने के लिए या किसी अन्य कारण से विदेश जाने का निर्णय लेते हैं और तब जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक तार्किक मुद्दा बन जाता है ।

जीवन प्रमाण का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को कारगर और परेशानी मुक्त और बहुत सरल बनाना है । इस पहल के साथ पेंशनभोगी को शारीरिक रूप से संवितरण एजेंसी या प्रमाणीकरण प्राधिकारी के सामने खुद को पेश की जरूरत नहीं है । वे अपने घर से कंप्यूटर पर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जो बैंक को स्वीकार्य होगा ।

(15.2) क्या जीवन प्रमाण के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

जी नहीं, ऐसा नहीं है। **'जीवन प्रमाण'** जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अन्य मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त है ।

(15.3) 'जीवन प्रमाण' के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है?

जीवन प्रमाण सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक पेंशनभोगियों को पहले अपने पेंशन खाते में अपनी आधार संख्या दर्ज करवाना होगा । एक बार अंकन हो जाने के बाद, पेंशनभोगी https://jeevanpramaan.gov.in से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं ।

पेंशनभोगियों संबंधी जानकारी जैसे आधार संख्या, पेंशनभोगी का नाम, पीपीओ नंबर, बैंक खाते का ब्यौरा, पता, मोबाइल नंबर आदि वेब आधारित / ग्राहक इंटरफ़ेस के माध्यम से सिस्टम में डाल दिए जाते हैं और अतंत: फिंगर प्रिंट स्कैनर पर उंगली रखकर या आयरिस स्कैनर पर आंख का स्कैन कराकर पेंशनभोगी व्यक्ति संबंधी जानकारी को आधार संख्या का उपयोग करके प्रमाणीकृत कर दिया जाता है ।

सफल सत्यापन के बाद, प्रमाण आई डी / ट्रांजेक्शन/ संचालन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है और इसी नबंर को पोर्टल से एस एम एस के रूप में पेंशनभोगी के मोबाइल पर भेज दिया जाता है । पोर्टल, सफलतापूर्वक प्रमाणीकृत पेंशनभोगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण सृजित करता है और यह केंद्रीय जीवन प्रमाणपत्र भंडारन डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है । संवितरक बैंक, पोर्टल और बैंक के सर्वर के बीच सृजित इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तांतरण तंत्र के माध्यम अपने पेंशनभोगियों के लिए पोर्टल से जीवन प्रमाण प्रमाणपत्र देख व इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

पेंशनभोगियों को बैंक को सूचित करना होता है कि जीवन प्रमाण पोर्टल से ऑनलाइन पंजीकरण कराकर उसका जीवन प्रमाण सृजित कर लिया गया है ।